17/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट हाजिर।
रेस्पोंडेंट की तरफ से श्री सिद्धार्थ [illegible] ने वकालतनामा पेश किया और शामिल मिसल किया गया।
उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में बताया कि रेस्पोंडेंट सं. 1 व 2 के द्वारा एवं रेस्पो. सं. 3 से 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी जोत का विभाजन करने हेतु दावा पेश किया। वादग्रस्त भूमि ग्राम [illegible] एवं [illegible] की है। LC में दावे से संबंधित प्रतिवादीगण को नोटिस की सम्मन तामील ही नहीं हुई है। पत्रावली में उपलब्ध सम्मन पर तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि अदम तामील अंकित करके तामीली रिपोर्ट भिजवाई है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल कोर्ट में बिना सम्मन तामील एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये जो प्रारंभिक डिक्री जारी की है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है लिहाजा खारिज योग्य है। इतना ही नहीं दावे के संबंध में साइन के रूप में न तो कोई गवाह हुए हैं न ही अभिलेख ही प्रदर्शित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में दावा साबित करवाये बिना ही डिक्री जारी की है जो विधि की दृष्टि में खारिज योग्य है। वर्तमान में अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा घोषणा बाबत [illegible] है जो विचाराधीन है। इस दावे में दायर कर रखा है जो विचाराधीन है, इस दृष्टि से P.D. हिस्से की घोषणा भी गलत है, इस दृष्टि से घोषित हिस्से भी सही नहीं हैं। (प्रारंभिक डिक्री) में घोषित हिस्से भी सही नहीं हैं। लिहाजा प्रारंभिक डिक्री रद्द ही करने योग्य है जिसे खारिज किया जावे।

रेस्पोंडेंट के अभिभाषक ने बहस करते हुए अपील के कारणों का विरोध किया। इन्होंने यह कहा कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित हिस्सों के अनुसार अंकित हिस्सों को आधार मानकर दावा जोत विभाजन का किया गया है जो सही है एवं तदनुसार

P.T.O.

फैसला / ... 30/11/2019

तारीख हुक्म	[illegible] जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे। [signature] [illegible] प्राधिकारी [illegible]	

नम्बर व तारीख अहकाम, हुक्म की तामील में जारी हुए

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

................................बनाम................................

किस्म मुकदमा RT/ /LR न. 74 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ही प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर दावा में बाद सुनवाई जो प्राथमिक डिक्री जारी की है वह सही है और उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है लिहाजा अपील अपीलांट खारिज होने के काबिल खारिज है, खारिज फरमाई जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी पक्ष का कथन सत्य है कि उन पर सम्मन/नोटिस की सम्यक तामील नहीं हुई। तहसीलदार फलोदी की तामील रिपोर्ट में पृष्ठांकन "अदम तामील" ही है। इस दृष्टि से निर्णय एकतरफा, बिना सुनवाई एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। वाद विचारण की एक निर्धारित प्रक्रिया है। वादी पक्ष को अपने दावे को साक्ष्य/सबूतों के आधार पर साबित करना होता है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई न ही उनके बयान हुए। अभिलेख भी प्रदर्श नहीं हुआ। वाद विचारण की प्रक्रिया ही अपूर्ण एवं दूषित रही है। मामला SDO फलोदी से सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी को हस्तांतरित होने बाबत भी पक्षकारान को सूचना नहीं है। समग्र विवेचन एवं विश्लेषण का सार है कि दावे में जारी अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री/निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एवं वाद विचारण की विहित प्रक्रिया को पूर्ण किये बगैर जारी की है जिसकी अहमियत विधि की दृष्टि में नहीं है। ऐसी डिक्री/निर्णय विधि विरुद्ध होने से बरकरार रखने लायक नहीं है लिहाजा वह खारिज योग्य ठहरती है। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन डिक्री/निर्णय (प्राथमिक डिक्री दि. 23/5/18) 23/5/18 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रतिवादीगण (अपीलार्थी) पर सम्मन की सम्यक तामील सुनिश्चित कर उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर जवाब/प्रारंभिक लेकर बाद तनकीह कायमी साक्ष्य/सबूत लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर)	